यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला खान अधिकारी टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी टिहरी के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के. श्रीवास्तव, श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 19.01.2018 से 27.01.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/12 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः –सम्पूर्ण टिहरी जनपद
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2012-13	522.64
2013-14	746.63
2014-15	815.62
2015-16	649.35
2016-17	944.67

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना राजस्व सम्मि लत करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी टिहरी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 10/2015 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह.....को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 क

प्रस्तर-**01** :नियमानुसार रॉयल्टी की धनरा श का आंकलन न करने से राजस्व क्षति `10.19 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप (शासनादेश) सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु 3(2) के अनुसार जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर) मध्य पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं उप-खनिज की रॉयल्टी दर तत्तसमय निर्धारित रॉयल्टी दर की 75% थी (ततसमय रॉयल्टी की दर `200/घन मी॰)। बिन्दु-3 के अंतर्गत ही पट्टाधारकों पर रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से लए जाने का प्रावधान था।

उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास वभाग की अ धसूचना सं॰ 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 07.08.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 के नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन करते हुये बिन्दु-8 के अनुसार वहित प्रयोजनों के लये प्रयुक्त होने वाली बालू से भन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मली जुली अवस्था में हो के लये रॉयल्टी की दर `200/घन मी॰ निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, टिहरी में निजी नाप भू म के खनन पट्टों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जांच में पाया गया क पट्टाधारक श्री अनिल कोठारी पुत्र श्री मायाराम कोठारी**,** निवासी ग्राम-हड़म**,** डड़ासली**,** पट्टी मनियार**,** टिहरी को ग्राम रतवाड़ी, पट्टी जुवा, तहसील कंडीसौड, टिहरी में 0.209 हे॰ नाप भू म पर उप-खनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान की स्वीकृति शासनादेश सं॰ 420/VII-1/166-ख/2014 दिनांक 28.05.2015 को प्राप्त हुई थी। पट्टाधारक द्वारा पट्टा वलेख दिनाँक 22.02.2016 को निष्पादित कराया गया था जिसकी अव ध 05 वर्ष थी ।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया की पट्टा वलेख में प्रत्येक वर्ष उत्तखनित खनिज की मात्रा 2090 घन मी॰ की वा र्षक पट्टा धनरा श रु 90/घन मी॰ की दर से `1,88,100/- निर्धारित की गयी थी जब क पट्टा धनरा श का निर्धारण निम्न प्रकार कया जाना था:

2090 घन मी॰ x (200x75%) = 3,13,500/-

25% रिवर ट्रेनिंग व वकास शुल्क: 3,13,500 x 25% = 78,375/-

पट्टा धनरा श/वर्ष = 3,13,500 + 78,375 = 3,91,875/-

अतः पट्टा धनरा श 05 वर्षों हेतु: 3,91,875 x 5 = 19,59,375/-

परन्तु, पट्टा वलेख में 05 वर्षों हेतु रु 9,40,500/- रॉयल्टी की रा श निर्धारित की गयी थी जो की `10,18,875/- (`19,59,375-`9,40,500)कम थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व क्षति ` 10,18,875/- का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 क</u>

<u>प्रस्तर-</u> 2:अपरिहार्य वा षक भाटक कम जमा कराये जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति `7.29 लाख ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) वभाग की वज्ञप्ति दिनाँक 26.08.2001 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत कोई अ धकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात क वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वा मत्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनरा श या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे ।

उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास अनुभाग (2) के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 2911/VII-II/146-ख/10/2011 देहरादून, दिनाँक 18.11.2011 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु 5(5) के अनुसार समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्रधारक/भंडारण स्वामी को निर्गत कये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रॉयल्टी की धनरा श अ ग्रम रूप से जमा करायी जायेगी । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 9(4) (पाँच) के अनुसार खनन सं क्रयाएँ प्रारम्भ करने के पश्चात पट्टेधारक द्वारा आगामी माह की 20 तारीख तक अ ग्रम जमा कया जाएगा। निर्धारित ति थ तक अ ग्रम जमा न कए जाने की दशा में खान अ धकारी द्वारा 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वा षक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी कया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, टिहरी के नाप भू म पट्टाधारकों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क ग्राम-कांडा मय डौर, नरेंद्र नगर, टिहरी के 0.660 हे॰ भू म पर चुगान/खनन पट्टा श्री बंशीधर उनियाल के पक्ष में शासन से स्वीकृति दिनाँक 02.05.2015 के उपरान्त पट्टा वलेख दिनाँक 26.12.2015 को प्रथम अ ग्रम भाटक `163271/- जमा करने के उपरान्त निष्पादित कराया गया था जिसका वा षक भाटक `1469438/- था।

आगे जाँच में पाया गया क पट्टाधारक द्वारा माह 12/2015 से 03/2017 के मध्य का कुल अपरिहार्य भाटक/रॉयल्टी `2122523/- के सापेक्ष प्रथम अ ग्रम धनरा श को सम्मि लत कर मात्र कुल `1393717/- ही जमा कया गया था जिसका ववरण निम्न है:

दिनाँक 15.12.2015 को `163271.00

दिनाँक 21.01.2016 को `163271.00

दिनाँक 26.10.2016 को ` 100000.00

दिनाँक 26.10.2016 को ` 567174.00

दिनाँक 11.11.2016 को ` 400000.00

कुल जमा : `1393716/-

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा माह 03/2017 तक के सम्पूर्ण भाटक/रॉयल्टी `728807/-(`2122523-`1393716)=728804/= नहीं/कम जमा कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 क

प्रस्तर- **03**:नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा न कराये जाने के फलस्वरूप राजस्व हानि `6.80 लाख ।

खान मंत्रालय, भारत सरकार के अ धसूचना संख्या का॰ आ॰ 423 (अ) दिनाँक 10 फरवरी 2015 द्वारा क्वार्टजाइट **(quartzite)** को मुख्य खनिज की श्रेणी से हटाकर गौण खनिज (Minor Mineral) की श्रेणी (क्र॰सं॰ 26) में सम्मि लत कर दिया गया था ।

उक्त क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास वभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 प्रख्या पत की गयी । इस नीति के बिन्दु सं॰ 6 (एक) के अनुसार आवेदन शुल्क 02 है॰ तक `2.00 लाख तथा 02 है॰ से अ धक 05 है॰ तक `4.00 लाख निर्धारित कया गया था । पुनः उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास वभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनाँक 07.10.2015 द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आं शक संशोधन करते हुए आवेदन शुल्क की रा श 02 है॰ तक `1.50 लाख तथा 02 है॰ से अ धक 05 है॰ तक `2.50 लाख निर्धारित कर दी गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन औध्यो गक वकास अनुभाग-1 की अ धसूचना सं॰ 851/VII-1/2016/158-ख/2004 (शासनादेश) दिनाँक 19.05.2016 द्वारा खनिज भंडारण की प्र क्रया को सरलीकृत कए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशो धत 2016 में संशोधन कये गये। उक्त अ धसूचना के नियम 8(2) के अनुसार राज्य में स्वीकृत स्टोन क्रैशर को खनिज भंडारण हेतु `1**,00,000/-** आवेदन शुल्क देय होगा ।
उत्तराखण्ड शासन औध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-29/2010 दिनाँक 31.07.2015 (शासनादेश) द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 4(3) के अनुसार स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से संबन्धित निजी नाप भू म में खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क `1.00 लाख निर्धारित कया गया था।
कार्यालय जिला खनन अ धकारी, टिहरी गढ़वाल के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(i) राजस्व पट्टों से संबन्धित पत्राव लयों की नमूना जाँच में पाया गया क अपर महाप्रबन्धक, THDC India Ltd॰ , भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल को राजस्व भू म के खसरा सं॰ 846, 858 व 871 म॰ रकबा 3.00 हे॰ भू म पर उप-खनिज के चुगान हेतु शासन के पत्र सं॰ 1069(1)/VII-1/61-ख/2015 दिनाँक 23.07.2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका पट्टा वलेख दिनाँक 02.12.2015 को निष्पादित कया गया था। पत्रवाली की जांच में पाया गया क आवेदक द्वारा दिनाँक 01.01.2015 को गौण खनिज (quartzite) के खनन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कया गया जिस पर वचारोपरांत शासन द्वारा उक्तानुसार अनुमति प्रदान की गयी थी। जाँच में पाया गया क गौण खनिज के पट्टे हेतु आवेदक द्वारा उक्त व र्णत नियमानुसार आवेदन शुल्क `2.50 लाख जमा न कर मात्र `5000/- आवेदन शुल्क दिनाँक 23.01.2015 को चालान के माध्यम से

जमा कया गया था। इस प्रकार `2.45 लाख आवेदन शुल्क कम जमा कया गया था परन्तु आवेदक के पक्ष में पट्टा वलेख निष्पादित कर दिया गया था।

(ii) स्टोन क्रैशर के भंडारण से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जांच में पाया गया क 03 स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा भंडारण हेतु नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराया गया था जिनका ववरण निम्न है:

क्र सं॰	स्टोन क्रैशर का नाम	भंडारण क स्वीकृति	देय शुल्क	जमा शुल्क
1.	भागीरथी स्टोन क्रैशर	06.06.2016	1.00 लाख	0.50 लाख
2.	दुर्गा स्टोन क्रैशर	15.10.2016	1.00 लाख	0.50 लाख
3.	सागर स्टोन क्रैशर	15.10.2016	1.00 लाख	0.50 लाख

पत्रवा लयों की जाँच में पाया गया क उपरोक्त स्टोन क्रैशर संचालकों को भंडारण की अनुज्ञप्ति प्रारम्भ में व र्णत शासनादेश के तहत की गयी थी एवं जिसका उल्लेख जारी अनुज्ञप्ति में भी कया गया था। परन्तु, स्टोन क्रैशर संचालकों से नियमानुसार आवेदन शुल्क नहीं लया गया । इस प्रकार उपरोक्त 03 स्टोन क्रैशर संचालकों द्वारा आवेदन शुल्क की धनरा श `1.50 लाख कम जमा करायी गयी थी।

(iii) निजी नाप भू म के खनन पट्टों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जांच में पाया गया क 03 पट्टाधारकों द्वारा पट्टे हेतु नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराया गया था जिनका ववरण निम्न है:

क्र सं॰	पट्टाधारक का नाम	पट्टा वलेख की ति थ	देय शुल्क	जमा शुल्क
1.	सुमेर संह भण्डारी, टिहरी	17.01.2016	1.00 लाख	0.05 लाख
2.	अनिल कोठारी, टिहरी	22.02.2016	1.00 लाख	0.05 लाख
3.	बंशीधर उनियाल, टिहरी	26.12.2015	1.00 लाख	0.05 लाख

पत्रवा लयों की जाँच में पाया गया क उपरोक्त तीनों पट्टाधारकों द्वारा आवेदन की ति थ को रु 5000/- आवेदन शुल्क जमा कराया था। शासन से स्वीकृति उपरान्त वभाग द्वारा पट्टा वलेख निष्पादित कर दिया था परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अवशेष आवेदन शुल्क रु 0.95 लाख प्रत्येक जमा नहीं कराया गया था।

इस प्रकार वभाग रु 6.80 लाख राजस्व प्राप्ति से वं चत रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व क्षति ` 6.80 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

<u>प्रस्तर-**01**:</u>रिवर ट्रेनिंग**,** वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क जमा न कराया जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति `1.39 लाख ।

उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 3(3) के अनुसार रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से देय होगा और यह निजी पट्टाधारकों पर भी लागू होगा । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1689/VII-1/80-ख/2016 देहरादून, दिनाँक 28.10.2016 द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1585/80-ख/2016 दिनाँक 10.10.2016 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं॰ - 7 के प्रावधानानुसार संशोधन करते हुये उप-खनिज की निकासी हेतु निजी भू म में रिवर ट्रेनिंग रॉयल्टी का 15% एवं वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% एवं क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15% कये जाने का प्रावधान कया गया था ।

उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास वभाग की अ धसूचना सं॰ 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 07.08.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 के नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन करते हुये बिन्दु-8 के अनुसार वहित प्रयोजनों के लये प्रयुक्त होने वाली बालू से भन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मली जुली अवस्था में हो के लये रॉयल्टी की दर `200/घन मी॰ निर्धारित की गयी थी। पुनः अ धसूचना सं॰ 842/vii-1/2016/24-ख/2007 दिनाँक 19.05.2016 द्वारा उपरोक्त रॉयल्टी की दर में संशोधन करते हुये `154.00 प्रति घन मी॰ की दर से रॉयल्टी का निर्धारण कया गया था।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, टिहरी में निजी नाप भू म के खनन पट्टों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जांच में पाया गया क पट्टाधारक श्री आशाराम बेलवाल पुत्र श्री दयानन्द बेलवाल**,** ग्राम-नवाघर**,** टिहरी को 0.550 हे॰ भू म पर उप-खनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान की स्वीकृति शासनादेश सं॰ 501/VII-1-13/63-ख/2012 दिनांक 22.02.2012 को प्राप्त हुई थी। पट्टाधारक द्वारा पट्टा वलेख दिनाँक 30.10.2014 को निष्पादित कराया गया था।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया की पट्टाधारक द्वारा संलग्न ववरण अनुसार व भन्न माहों में उप-खनिज की निकासी की गयी थी। परन्तु, पट्टाधारक द्वारा रिवर ट्रेनिंग, वकास शुल्क व क्षतिपूर्ति शुल्क `138513/- जमा नहीं कराया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः राजस्व क्षति `138513/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 02 :`अपरिहार्य वा र्षक भाटक/रॉयल्टी वलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का अनारोपण `0.71 लाख ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) वभाग की वज्ञप्ति दिनाँक 26.08.2001 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत कोई अ धकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात क वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वा मत्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनरा श या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे । नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अव ध के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय कसी भाटक, स्वा मत्व, सीमांकन शुल्क और कन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लया जा सकता है ।
उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास अनुभाग (2) के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 2911/XVII-II/146-ख/10/2011 देहरादून, दिनाँक 18.11.2011 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु 5(5) के अनुसार समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्रधारक/भंडारण स्वामी को निर्गत कये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रॉयल्टी की धनरा श अ ग्रम रूप से जमा करायी जायेगी । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/XVII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 9(4) (पाँच) के अनुसार खनन सं क्रयाएँ प्रारम्भ करने के पश्चात पट्टेधारक द्वारा आगामी माह की 20 तारीख तक अ ग्रम जमा कया जाएगा। निर्धारित ति थ तक अ ग्रम जमा न कए जाने की दशा में खान अ धकारी द्वारा 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वा र्षक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी कया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, टिहरी के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क ग्राम-कांडा मय डौर, नरेंद्र नगर, टिहरी के 0.660 हे॰ भू म पर चुगान/खनन पट्टा श्री बंशीधर उनियाल के पक्ष में शासन से स्वीकृति दिनाँक 02.05.2015 के उपरान्त पट्टा वलेख दिनाँक 26.12.2015 को प्रथम अ ग्रम भाटक `163271/- जमा करने के उपरान्त निष्पादित कराया गया था जिसका वा र्षक भाटक `1469438/- था। पट्टाधारक द्वारा देय अपरिहार्य भाटक अथवा रॉयल्टी नियमानुसार अ ग्रम जमा न कर वलम्ब से जमा कया गया था जिस कारण पटटधरक पर `70686/- का ब्याज देय था। ववरण निम्नवत है:

माह	जमा भाटक/रॉयल्टी	जमा करने की ति थ	जमा कया गया	वलम्ब	देय ब्याज @ 15% /वा र्षक
12/2015	163271	15.12.2015	15.12.2015	-	-
01/2016	163271	20.01.2016	21.01.2016	-	-
02/2016	100000	20.01.2016	26.10.2016	09 माह 06 दिन	11500
03/2016	400000 (163271)	20.02.2016	11.11.2016	08 माह 21 दिन	17756
04/2016	400000 (163271)	20.03.2016	11.11.2016	07 माह 21 दिन	15715
05/2016	567174 (163271)	20.04.2016	26.10.2016	06 माह 06 दिन	12653
06/2016	567174 (163271)	20.05.2016	26.10.2016	05 माह 06 दिन	10613
10/2016	567174 (163271)	20.09.2016	26.10.2016	01 माह 06 दिन	2449
योग					70686

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 03:मा सक ववर णयाँ प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण `0.50 लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में ववरणी अनुवर्ती माह के द् वतीय सप्ताह में प्रपत्र एम॰ एम॰-12 में जिला अ धकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 6(6) के अनुसार त्रैमा सक ववरणी के स्थान पर मा सक ववरणी का प्रावधान करते हुए अर्थदण्ड की धनरा श को बढ़ाकर `2000/- कर दिया गया था ।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, टिहरी के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 02 पट्टाधारकों द्वारा अपनी मा सक ववरणी या तो वलम्ब से जमा की गयी थी या जमा नहीं की गयी थी (सूची संलग्न)।
इस प्रकार इकाई द्वारा `50000/- का अर्थदण्ड आरो पत नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 04 : नियमानुसार रॉयल्टी की धनरा श का आंकलन न करने से राजस्व क्षति `0.44 लाख

शासनादेश सं॰ 2911/VII-II/146-ख/10/2011 दिनाँक 18.11.2011 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु-8 के अनुसार खनन क्षेत्र के आ र्थक वकास हेतु खनन उध्य मयों/पट्टाधारक से वकास शुल्क लये जाने का प्रावधान है। पुनः उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप (शासनादेश) सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 3(3) के अनुसार वकास शुल्क रॉयल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से लये जाने का प्रावधान कया गया है।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी में राजस्व पट्टों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क अपर महाप्रबन्धक, THDC India Ltd॰ , भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल को राजस्व भू म के खसरा सं॰ 846, 858 व 871 म॰ रकबा 3.00 हे॰ भू म पर उप-खनिज के चुगान हेतु शासन के पत्र सं॰ 1069(1)/VII-1/61-ख/2015 दिनाँक 23.07.2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका पट्टा वलेख दिनाँक 02.12.2015 को निष्पादित कया गया था। परन्तु, पत्रावली की जाँच में पाया गया क पट्टा वलेख में रॉयल्टी की धनरा श की गणना देय रॉयल्टी की दर `20,000/एकड़ की दर से की गयी थी जिसमे 10% वकास शुल्क सम्मि लत नहीं था। 10% वकास शुल्क को सम्मि लत करते हुये रॉयल्टी की धनरा श 7.413 एकड़ (3.00हे॰ x 2.471) हेतु रु 489258/- ((7.413 x 20000 x 110%)) 03 वर्षों हेतु निर्धारित की जानी थी। परन्तु, रॉयल्टी रु 444780/- निर्धारित की गयी थी जो क रु 44478/- कम थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व क्षति ` 44478/- का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 05:खनन योजना शुल्क की धनरा श `0.20 लाख जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन औध्यो गक वकास अनुभाग के आदेश सं॰ 844/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनाँक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के बिन्दु.3(5) के अनुसार: पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबन्धित खान अ धकारी/उपनिदेशक (खनन) के समक्ष रु 20000/- की धनरा श निर्धारित लेखाशीर्ष में ट्रैज़री चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी टिहरी में राजस्व पट्टों से संबन्धित पत्रवा लयों की नमूना जाँच में पाया गया क अपर महाप्रबन्धक, THDC India Ltd॰ , भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल को राजस्व भू म के खसरा सं॰ 846, 858 व 871 म॰ रकबा 3.00 हे॰ भू म पर उप-खनिज के चुगान हेतु शासन के पत्र सं॰ 1069(1)/VII-1/61-ख/2015 दिनाँक 23.07.2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका पट्टा वलेख दिनाँक 02.12.2015 को निष्पादित कया गया था। परन्तु, पत्रावली की जाँच में पाया गया क खनन योजना एवं इस हेतु निर्धारित शुल्क `20000/- जमा की प्रतियाँ पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर:06 स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण `0.09 लाख।

इं डयन स्टाम्प अ धनियम,1899 की धारा 33 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लए अ धकृत, पु लस अ धकारी के सवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्य के सम्पादन में कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत कया जाये, जो उसके राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो क वह वलेख यथा व ध स्टां पत नहीं है, उसे जब्त करेगा।

पुनः धारा-35 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत कसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य स्वीकार नहीं कया जाएगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या कसी सार्वजनिक अ धकारी द्वारा उसको कार्यान्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणीकृत नहीं कया जायेगा, जब तक क वह वलेख यथा व ध स्टां पत न हो। रजिस्ट्रेशन अ धनियम, 1908 की धारा-17 (1) (घ) में यह प्रावधान कया गया है क वर्षानुसार या 01 वर्ष से अ धक कसी अव ध के लये या वा र्षक कराया सुर क्षत करने वाली अचल संप त्त की लीज के लेख पत्र का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख 01 वर्ष से कम अव ध के हैं उनका रजिस्ट्रीकरण एछिक है कन्तु उसके प्रतिफल की धनरा श पर स्टाम्प शुल्क अदा कया जाना अपे क्षत है।

पुनः महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखंड के पत्रांक 827/म॰नि॰नि॰/2013-14 दिनांक 23.12.2013, जो समस्त जिला धकारी को संबो धत है, के द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं क समस्त कार्यालय अध्यक्ष इं डयन स्टाम्प अ धनियम की धारा-33 के अवलोकन में उनके कार्यालय में वगत 08 वर्षो में निष्पादित कए गए व भन्न प्रकार के वलेखों का परीक्षण कर लें एवं यदि कसी प्रकरण में स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबन्धित अ भलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथा शीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, टिहरी के लेखा भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क श्री मदन संह एवं M/s दुर्गा स्टोन क्रैशर के स्वामी श्री वजय मोहन के मध्य 36 माह का करायानामा, जिसका वा र्षक कराया `1.50 लाख था, मात्र `100/- के स्टाम्प पर निष्पादित कया गया था जब क उक्त पर `9000/- (150000*3*2% =9000/-) का स्टाम्प शुल्क देय था।

इस प्रकार `8900/- (`9000-`100) का स्टाम्प शुल्क कम आरो पत कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व क्षति ` 8900/- का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -डी.डी.ओं कार्य नहीं कया जा रहा है।

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय जिला खान अ धकारी टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
   (i) कसी भी ले0प0 ज्ञाप0 का उत्तर/सूचनायें अप्रयाप्त
   (अ)नमूना माह के चालानों की सूची
   (ब) स्टोन क्रेशर के संचालन की पत्रावली इत्यादि

2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वी.के. संह	जिला खान अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय जिला खान अ धकारी टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र